

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.06.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संत राम गुप्ता पुत्र रामहेत नि० इटवा बस्ती खास थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-76/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू पुत्र टेड़ी उर्फ धर्मराज नि० पंडित पुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-147/22, 02. रूसे पुत्र बलराज नि० पण्डितपुरवा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.06.2022**

**अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मिथुन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मिथुन पुत्र गोली नि० ग्राम टिकरिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-210/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 07.06.2022**

**ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना को० देहात पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर बच्चे व परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा लड़के/लड़कियों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना को० देहात पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 03.06.2022 को थाना को० देहात क्षेत्र के अन्तर्गत भवनियापुर विसेन के रहने वाले गिरधारी लाल द्वारा थाना को० देहात में सूचना दी गयी कि उनका 13 वर्षीय लड़का घर से खेलने हेतु गया था जो अभी तक वापस नहीं लौटा है। सूचना पर थाना को० देहात में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बच्चे की शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी थी। प्र०नि० को० देहात कमलाकान्त त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 07.06.2022 को गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्चे से मिलकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस में काफी सराहना की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०स०-209/22 धारा-363 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदकर्ता टीम:-**

उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय टीम।

प्रेस नोट  
मीडिया सेल गोण्डा  
दिनांक 07.06.2022

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना तरबगंज में हुई  
मुकदमों/लावारिस/अन्य मालो की निलामी:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को मुकदमों/

लावारिस/अन्य मालों की निलामी हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 07.06.2022 को प्र0नि0 तरबगंज मनोज पाठक द्वारा मुकदमों/लावारिस/अन्य मालो की निलामी की गयी जिसमें 01 अदद ट्रक, 01 अदद क्वालिस व 64 अदद मोटरसाईकिले थी। समस्त वाहनों से कुल सात लाख बीस हजार छः सौ चालीस (7,20,640 रू0) का राजस्व प्राप्त हुआ है।